भारत सरकार **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**	**सार्वजनिक-निजी भागीदारी में** **2500 आदर्श स्कूल स्थापित करना**

रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण सूचना

योजना का उद्देश्य:

1. प्रति बालक स्कूल की दर से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों से भिन्न ब्लॉकों में उत्कृष्ट बेंचमार्क के रूप में चिन्ह 2500 स्कूल स्थापित करना।
2. आदर्श स्कूल कक्षा 6 से 12 तक परिचालित करेगा और इसमें न्यूनतम बुनियादी ढांचा और उसी स्तर की सुविधाएं होंगी जो किसी भी केन्द्रीय विद्यालय में होती है।

अवस्थिति:

1. स्कूल उन ब्लाकों के मुख्यालयों में होंगे जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नहीं हैं।
2. प्रारंभिक रूप से प्रथम चरण में आदर्श स्कूल स्थापित करने के लिए 500 ब्लाक निर्धारित किए जाएंगे।

निजी संस्था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की व्यापक भूमिकाएं:

1. निजी संस्था आदर्श स्कूलों के लिए भूमि प्राप्त करेगी, और इसे विकसित, तैयार करेगी, स्कूलों का निर्माण करेगी, बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगी, स्कूल चलाएगी, रखेगी, व्यवस्था करेगी और इन स्कूलों की स्वामी होगी।

बोली प्रक्रिया:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग निजी संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है, जो या तो कोई एकल संस्था अथवा सहायता संघ के रूप में सेक्शन-25-कंपनी/न्यास/सोसायटी हो सकती है और किसी सहायता संघ के लिए उसको अग्रणी सदस्य निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करने वाला हो सकता है:

(i) कम से कम एक सीबीएसई स्कूल चलाने वाली कोई संस्था, जहां से कम से कम दो लगातार बैचों ने कक्षा 10 उत्तीर्ण की है, ऐसी संस्था 3 स्कूलों के योग्य होगी।

(ii) जो बोर्ड की परीक्षा के स्तर तक नहीं आए हैं वे एक स्कूल के योग्य माने जाएंगे।

(iii) कोई भी संस्था 3 स्कूलों के योग्य मानी जाएगी, यदि उसके पास शैक्षिक संस्थान चलाने का कम से कम 5 वर्षों का पिछला रिकार्ड है और यदि यह प्रत्येक स्कूल के लिए 25 लाख रूपए की ब्याज अर्जित करने वाली जमा राशि देती है, जो चालू होने के बाद तीन वार्षिक किस्तों में जारी की जाएगी।

(iv) कोई भी कारपोरेट संस्था प्रत्येक 3 स्कूलों

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकार द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति आधार पर आवर्ती लागत में अंशदान करेगा। इसके अतिरिक्त ऐसी सहायता का 25 प्रतिशत आधारिक अनुदान के रूप में प्रायोजित विद्यार्थियों के संबंध में भी प्रदान किया जाएगा। गुणवत्तायुक्त शिक्षा के ऐसे प्रावधान के लिए प्रारंभिक अनुबंध प्रत्येक स्कूल के लिए 10 वर्ष का होगा, जिसे परस्पर सहमति के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।

रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 16 अप्रैल, 2012, भारतीय मानक समय के सायं 5.00 बजे तक है। रूचि की अभिव्यक्ति और 10,000/- भारतीय रूपए में अप्रतिप्रेय फीस रखे मुहरबंद लिफाफे पर शीर्षांकित पता लिखा होना चाहिए। फीस के रूपए डिमांड -ड्राफ्ट अथवा पे आर्डर जो वेतन एवं लेखा अधिकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पक्ष में नई दिल्ली में संदेय है, से और निम्नलिखित उल्लेख के साथ भेजे जाएंगे: सार्वजनिक-निजी भागीदारी में आदर्श स्कूल स्थापित करने के लिए "रूचि की अभिव्यक्ति"।

श्रीमती राधा एस. चौहान, संयुक्त सचिव (एसई-I), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 107-डी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115

तक के लिए 50 लाख रूपए और उसके बाद प्रति स्कूल 25 लाख रूपए ब्याज अर्जित करने वाली जमा राशि के अध्यधीन प्रत्येक 25 करोड़ रूपए के निवल धन पर एक स्कूल के लिए पात्र होगी।

आवेदकों के लिए उपर्युक्त पात्रता मानदंड के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे और इनमें संगठनात्मक विवरणिका और पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल होंगे। रूचि की अभिव्यक्ति इच्छुक आवेदकों की प्रारंभिक जांच के लिए जारी की जा रही है। योजना के दिशा निर्देश और आवेदकों द्वारा प्रस्ताव के लिए रूचि अभिव्यक्ति करने के लिए पत्र का प्रारूप www.education.nic.in/www.mhrd.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

टिप्पणी:- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा इसका कोई भी अधिकारी रूचि की अभिव्यक्ति के लिए इस अनुरोध को निरस्त करने/अथवा बिना किसी संशोधन, बिना किसी दायित्व, अथवा रूचि की अभिव्यक्ति के लिए ऐसे अनुरोध हेतु किसी बाध्यता और बिना कोई कारण बताए नए सिरे से आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस अवस्था में प्रदत्त अधिकारी सांकेतिक है और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय रूचि की अभिव्यक्ति में संशोधन करने और विवरण जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आवेदक द्वारा ईओआई के प्रस्तुतीकरण हेतु पत्र का प्रारूप

दिनांक:

सेवा में,

संयुक्त सचिव (एसई.।),
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार,
कमरा सं. 107-डी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115

विषय: "पीपीपी मोड में 2500 नए मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु ईओआई" प्रस्ताव के लिए प्रारंभिक जांच हेतु आवेदन।

महोदया,

दिनांक को उल्लिखित विषय पर (आवेदक द्वारा उल्लिखित समाचार-पत्र/वेबसाइट का नाम) में जारी रूचि की अभिव्यक्ति विज्ञापन के संदर्भ में हमने (एकल आवेदक अथवा संघ के मामले में प्रधान सदस्य का नाम)[1] ईओआई और मॉडल स्कूल योजना के दिशा-निर्देशों पर नोटिस की जांच की है और इसके विषय को समझ लिया है। हम यहां ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव के लिए प्रारंभिक जांच हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवेदन शर्त और अर्हता के बिना है।

2. हम ईओआई नोटिस के पात्रता मानदंड [(i), (ii), (iii), (iv)] के लिए आवेदन कर रहे हैं (*शेष पात्रता मानदंड जो लागू नहीं हो रहे हैं, को काट दिया जाए)।

3. हमारे संघ के निदेशक सदस्यों में निम्नलिखित फर्म आती हैं:$[2]

क. [(फर्म का नाम, प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पद)
ख. (फर्म का नाम, प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पद)
ग. (फर्म का नाम, प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पद)
घ. (फर्म का नाम, प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पद)]

4. हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारा संघ आवश्यकतानुसार संयुक्त बोली का करार करेगा।

5. हम (संघ के प्रधान सदस्य का नाम) प्रमाणित करते हैं कि हमारी कुल ..... रूपए की निवल राशि है (..... भारतीय रूपए शब्दों में)।

6. हम (बैंक का नाम) द्वारा नई दिल्ली में देय 10,000/- भारतीय रूपए के लिए दिनांक ..... को ..... डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर द्वारा अप्रतिदेय शुल्क जमा करते हैं।

7. हम यह मानते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऊपर उल्लिखित परियोजना के लिए आवेदनों की प्रारंभिक जांच के लिए आवेदन में प्रदत्त सूचना और उसके साथ लगे दस्तावेजों पर विश्वास करता है और हम प्रमाणित करते हैं कि आवेदन और अनुबंधों में प्रदान की गई सूचना सत्य और सही है; ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं गया है जो सूचना को भ्रामक बनाए; और इस आवेदन के साथ लगे सभी दस्तावेज अपने मूल की सही प्रतियां हैं।

8. हम यह मानते हैं कि यह विवरण प्रस्ताव में इच्छा व्यक्त करने के उद्देश्यार्थ ही दिया गया है और यह आवेदक को मॉडल स्कूलों के विकास, डिजाइन, निर्माण, वित्त, अवसंरचना प्रदान करने, कार्यशील बनाने, अनुरक्षण, प्रबंधन और स्वामित्व के लिए अर्हता प्रदान करेगा।

9. हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ऐसी कोई भी सूचना उपलब्ध करवाएंगे जो सूचीगत रूचि की अभिव्यक्ति के अनुसार पात्रता मानदंड की अनुपूर्ति अथवा अधिप्रमाणन के लिए आवश्यक हो।

10. हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उस अधिकार को मानते हैं जिसके अंतर्गत वह बिना कोई कारण बताए हमारा आवेदन रद्द कर सकता है और लागू कानून के अनुसार अनुमत्य हमारे चुनौती देने के अधिकार को समाप्त करते हैं।

11. हम मानते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसी भी समय बोली प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसी भी प्राप्त आवेदन को स्वीकार करने अथवा किसी भी पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जताए बिना आवेदक को प्रस्ताव के लिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित करने के लिए बाध्य है।

12. प्रस्तावित रूचि की अभिव्यक्ति के उत्तर में प्रारंभिक स्क्रीनिंग के उद्देश्यार्थ हम यहां निम्नलिखित दस्तावेज लगा रहे हैं:

i. अप्रतिदेय शुल्क हेतु डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर
ii. सीबीएसई को संबंद्धन प्रमाणपत्र
iii. संपरीक्षित लेखे
iv. .....

इसके साक्ष्य में हम इस आवेदन को रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत और उसके अनुसार प्रस्तुत करते हैं।

भवदीय

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पद)

दिनांक:

पत्राचार हेतु पता

(फोन (लैंडलाइन और मोबाइल)
तथा ई-मेल आईडी के विवरण
सहित)

स्थान:

आवेदक/प्रधान सदस्य का नाम और मोहर

[1] टिप्पणी: [ ] में दिए गए बिंदु/पैराग्राफ को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है।
[2] $= यदि आवेदक संघ नहीं है तो बिंदु से काट दें और पत्र से हटा दें।

ईओआई प्रस्तुत करने में दस्तावेजों तथा प्रमाणपत्रों की निम्नलिखित सूचक सूची शामिल होगी:

1. आवेदक द्वारा प्रस्ताव में इच्छी की अभिव्यक्ति संबंधी पत्र।

2. पात्रता संबंधी मापदंड का समर्थन करने हेतु दस्तावेज (जहां लागू हो) जैसे कि:
   क. सीबीएसई से संबद्धन
   ख. यह दर्शाते हुए प्रमाणपत्र/सबूत कि लगातार दो-दो बैचों ने कक्षा X पास कर ली है।
   ग. पिछले पांच वर्षों के लिए कार्यसंचालन, अनुरक्षण तथा प्रबंधन के तहत स्कूल दर्शाने वाला प्रमाणपत्र/सबूत।
   घ. सनदी लेखाकार से निवल मूल्य का प्रमाणपत्र।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए संपरीक्षित वार्षिक लेखे।

4. वापस न की जाने वाली फीस का डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर।